न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R.5007-दो/15

(131)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

395
25.8.15

1. श्रीमती रणछोर देवी पत्नी श्री त्रिवेणी प्रसाद गौतम पटपराहा टोला टीकर पुत्री स्व0 श्री जगतदेव प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम अगडाल तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. श्रीमती रामवती पत्नी श्री वृजनन्दन प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम बुढगांव पोस्ट महमूदपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा हाल पटेल नगर महाराजा पुर जबलपुर म0प्र0 पुत्री श्री जगदेव प्रसाद मिश्रा निवासी अगडाल रीवा
3. रविनाथ प्रसाद तनय स्व0 गुरू प्रसाद निवासी पंचायत भवन के पास ग्राम अगडाल तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

श्री ... सिंह ... एड द्वारा आज दिनांक 25-8-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

......................पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. अश्वनी कुमार मिश्रा
2. रामटहल मिश्रा उम्र 58 वर्ष
3. रामरसील उम्र 68 वर्ष
4. राम शिरोमणि उम्र 55 वर्ष

} पिता स्व0 श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा

5. धर्मराज उम्र 38 वर्ष तनय स्व0 श्री रमागोविन्द
6. सुधीर कुमार उम्र 40 वर्ष
7. सालिकराम उम्र 58 वर्ष
8. रामसुशील उम्र 51 वर्ष

} पिता स्व0 श्री रोहिणी प्रसाद

9. केशव प्रसाद
10. रामराज (कमलेश कुमार)

} तनय स्व0 श्री रमागोविन्द

सभी निवासी ग्राम अगडाल तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

..........................**गैरपुनरीक्षणकर्तागण**

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश पारित व प्रसारित श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा के प्रकरण क्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5007–दो/2015 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५–९–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विक्रम सिंह उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री के0एन0 मिश्रा उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 475/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। इसलिये इस तर्क को दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं। 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित नामांतरण आदेश दिनांक 12–08–2013 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अनावेदक अश्वनी के द्वारा वादग्रस्त भूमि के बटवारा नामांतरण हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन–पत्र पेश किया गया था । तहसीलदार के द्वारा उभयपक्षों को पक्ष समर्थन का अवसर देकर सहखातेदारों के मध्य पूर्व के बटवारा फर्द प्रारूप के अनुसार बटवारा नामांतरण स्वीकार किया जाना पाया, जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के	

न्यायालय में अपील पेश की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा यह माना गया कि तहसीलदार के द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में आई आपत्ति का निराकरण करते हुये प्रकरण में वास्तविक पक्षकारों के मध्य विभाजन स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर आवेदक के द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की गई है । उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की पैत्रिक भूमि है । उभयपक्षों के मध्य वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बटवारा हो चुका था । तदनुसार सभी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज दखिल थे । वादग्रस्त भूमि के बटवारे की फर्द प्रारूप तैयार किया गया था, तदनुसार ही सभी पक्षकार मौके पर काबिज है । पूर्व में हुये बटवारा में किसी को कोई आपत्ति नहीं है । इसी स्तर पर तहसीलदार के द्वारा पूर्व बटवारा के अनुसार मौके से जो जहां काबिज है तद्नुसार ही बटवारा का आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा इस आदेश की पुष्टि की गई । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 475/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा गया है ।

5/ अतएव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश 26.06.2015 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है, और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जावे । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य